

14.5.18

पन्नावली राजस्व लोक अदालत उद्योग, न्याय
आपके दूर-२०१८ में अदालत सेवा केन्द्र आदालत
पेशाही मजिस्ट्रेट आम में सुना गया। लोक
अदालत की भावना से उभय पक्षों को मूल का
के विस्तारण तक दि० 30.6.18 को जारी आदेश
से पाबन्द किया गया। इस कथन सम्बन्धित
को सूचना के तहत जारी हो। पन्नावली के अदालत
आधार लेकर इसे नम्बर से काम हो। आदेश मजिस्ट्रेट
आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक